2022/21

FORM NO-III

फर्द ...

न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 19/2022,27/2012,28/2012

राजस्थान सरकार जरिये, थानाधिकारी पुलिस थाना रूपनगढ जिला अजमेर ....प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामप्रसाद पुत्र श्री भागूराज गौदारा जाति जाट उम्र 28 साल निवासी कानूता पुलिस थाना साण्डवा जिला चुरू

उपस्थित :–
श्री नीरज जैन प्रवर्तन अधिकारी पेरोकार सरकार
श्री विनोद पंवार अभिभाषक अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ. धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम

दिनांक– 30.01.2023

<u>आदेश</u>

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि थानाधिकारी, थाना रूपनगढ जिला अजमेर के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत परिवाद में निवेदन किया कि दिनांक 08.10.2021 को श्री गोपाल सिह भाटी आर.पी.एस. तत्कालीन वृत्ताधिकारी वृत्त किशनगढ ग्रामीण जिला अजमेर द्वारा कि गई जांच में होटल रॉयल पैलेस दरदूंड रूपनगढ से एक पीकअप नम्बर आर.जे. 01. जी. डी. 5200 जिसके पिछे बोडी में टेंकर रखा हुआ जिसके अन्दर तरल पद्वार्थ (बायो डिजल जैसा पद्वार्थ) भरा हुआ व मय एक लोहे का टेंकर अलग से दो टायरो पर खडा हुआ जिसके अन्दर भी तरल पदार्थ (बायो डिजल जैसा पद्वार्थ) भरा हुआ , एक प्लास्टिक का खाली ड्रम, तीन प्लास्टिक के पाइप, दो प्लास्टिक की कीप, एक लोहे का नाप, तीन प्लास्टिक के छोटे ड्रम, दो डिजल निकालने के पम्प, एक इलेक्ट्रीक बैट्री पाए गए जिनको बमौजूदगी श्री अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक के मौके की कार्यवाही की जाकर नियामानुसार जरिये फर्द जप्ती के जप्त कर बाद कार्यवाही के पुलिस थाना रूपनगढ जिला अजमेर पर प्रकरण संख्या 238/21 दिनांक 08.10.21 धारा 285, 420, भा.द.स व 3/7 ई.सी एक्ट 1955 में दर्ज करवाया गया। उक्त प्रकरण का अनुसंधान तत्कालिन थानाधिकारी श्री कंवरपाल सिंह उप निरीक्षक पुलिस द्वारा किया गया । जप्तशुदा उपरोक्त आर्टीकल्स को थाना हाजा के मालखाना में इन्द्राज कराया जाकर बायो डीजल से भरे हुये दोनो टैकरो को थाना परिसर पर सुरक्षित खडे करवाये गये। उक्त कार्यवाही के दौरान लिये गये सैम्पल परिक्षण हेतु एफ.एस. एल जयपुर जमा करवाये जा चूके है जिनकी रिपोर्ट अपेक्षित है। आरोपी श्री रामप्रसाद द्वारा मिलावटी तरल पद्वार्थ पैट्रालियम या डीजल का अनाधीकृत रूप से वाहनो में भरने के लिये संग्रहण किया जाना पाया गया जो मोटर स्प्रिट उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 का उलंघन्न करना पाया गया। प्रकरण में सम्पूर्ण अनुसंधान एवं विधिक राय से उक्त होटल संचालक आरोपी श्री रामप्रसाद पुत्र श्री भागूराम गौदारा जाति जाट उम्र 28 साल निवासी कानूता पुलिस थाना साण्डवा जिला चुरू के खिलाफ जुर्म धारा 285, भा.द.स व 3/7 ई.सी. एक्ट 1955 का अपराध प्रमाणित पाया जाने

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

पर आरोप पत्र संख्या 289/21 दिनांक 30.12.2021 धारा में किया गया । उक्त आरोपी श्री रामप्रसाद माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर से अग्रिम जमानत पर होने से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जमानत व जमानत मुचलके लिये गये । उक्त आरोपी रामप्रसाद ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर 8421/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.3.22 को आदेश पारित कर निर्देशित किया है कि **Investigatin Officer is directed not to file final report the court concerned** प्रकरण हाजा में जप्त शुदा उपरोक्त आर्टिकल की प्रकरण हाजा या अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता नही है। प्रकरण हाजा में जप्तशुदा उक्त पद्वार्थ ज्वलनशील एवं क्षयशील है तथा प्रकरण में अन्तिम निस्तारण में समय लगने की सम्भावना है इसलिये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी रामप्रसाद मय अधिवक्ता उपस्थित आये। उनके द्वारा लिखित बहस पेश की गई। दौराने सुनवाई मौजूदा प्रकरण से सम्बन्धित पूर्व में प्रस्तुत प्रकरण संख्या 27/2022, राजू देवी बनाम थानाधिकारी रूपनगढ एवं प्रकरण संख्या 28/2022 रामप्रसाद गोदारा बनाम थानाधिकारी रूपनगढ को भी संज्ञान पर लाये जाने पर उन्हें मूल 6 ए प्रकरण के साथ सुना गया ।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि थानाधिकारी, थाना रूपनगढ जिला अजमेर के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 08.10.2021 को श्री गोपाल सिह भाटी आर.पी.एस. तत्कालीन वृत्ताधिकारी वृत्त किशनगढ ग्रामीण जिला अजमेर द्वारा होटल रॉयल पैलेस दरदूंड रूपनगढ से पीकअप नम्बर आर.जे. 01. जी. डी. 5200 जिसके पिछे बोडी में टेंकर रखा हुआ जिसके अन्दर तरल पदार्थ (बायो डिजल जैसा पदार्थ) भरा हुआ व मय एक लोहे का टेंकर अलग से दो टायरो पर खडा हुआ जिसके अन्दर भी तरल पदार्थ (बायो डिजल जैसा पदार्थ) भरा हुआ , एक प्लास्टिक का खाली ड्रम, तीन प्लास्टिक के पाइप, दो प्लास्टिक की कीप,, एक लोहे का नाप, तीन प्लास्टिक के छोटे ड्रम, दो डिजल निकालने के पम्प, एक इलेक्ट्रीक बैट्री के बमौजूदगी श्री अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक के मौके की कार्यवाही की जाकर नियामानुसार जरिये फर्द जप्त कर बाद कार्यवाही के पुलिस थााना रूपनगढ जिला अजमेर पर प्रकरण संख्या 238/21 दिनांक 08.10.21 धारा 285, 420, भा.द.स व 3/7 ई.सी एक्ट 1955 में दर्ज करवाया गया । उक्त प्रकरण अनुसंधान तत्कालिन थानाधिकारी श्री कंवरपाल सिंह उप निरीक्षक पुलिस किया गया । जब्तशुदा उपरोक्त आर्टीकल्स को थाना हाजा के मालखाना में इन्द्राज कराया जाकर बायो डीजल से भरे हुये दोनो टैकरो को थाना परिसर पर सुरक्षित खडे करवाये गये। उक्त कार्यवाही के दौरान लिये गये सैम्पल परिक्षण हेतु एफ.एस. एल जयपुर जमा करवाये जा चूके है जिनकी रिपोर्ट अपेक्षित है। आरोपी श्री रामप्रसाद द्वारा मिलावटी तरल पदार्थ पैट्रालियम या डीजल का अनाधीकृत रूप से वाहनो में भरने के लिये संग्रहण किया जाना पाया गया जो मोटर स्प्रिट उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 का उलंघन्न करना पाया गया । प्रकरण में सम्पूर्ण अनुसंधानएवं विधिक राय से उक्त होटल संचालक आरोपी श्री रामप्रसाद पुत्र श्री भागूराम गौदारा जाति जाट उम्र 28 साल निवासी कानूता पुलिस थाना साण्डवा जिला चुरू के खिलाफ जुर्म धारा 285, भा.द.स व 3/7 ई.सी. एक्ट 1955 का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर आरोप पत्र संख्या 289/21 दिनांक 30.12.2021 धारा में किया गया । उक्त आरोपी श्री रामप्रसाद माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर से अग्रिम जमानत पर होने से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जमानत व जमानत मुचलके लिये गये । अप्रार्थीगण का यह कृत्य एम.एस. एण्ड एच.एस.डी. आर्डर 2005 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे राज ली गई समस्त सामग्री को राजसात करने के आदेश फरमावें।

लिखित बहस में अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र तथ्यों को सिरे से नकारते हुए मुख्यतः निवेदन किया कि दिनांक 07.10.2021 को होटल रॉयल पैलेस पर कार्यवाही में एक पिकअप वाहन संख्यश आर.जे.01 जी डी 5200 जिसके पीछे की बाडी में लोहे का टैकर बनाया हुआ था व एक खाली टैकर जिन दोनो में पुलिस अनुसार तरल पदार्थ भरा हुआ था जो कि प्रथम दृष्टया बायोडीजल माना गया था जिसकी कुल मात्रा करीबन 1800 लीटर आंकी गयी थी। इस कारण से उक्त होटल रॉयल पैलेस का संचालक होने के कारण प्रार्थी के विरूद्ध धारा 285, 420 भा.द.सं एवं धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्राथमिकी संख्या 0238/2021 दर्ज की गई थी। धारा 3 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत उक्त धारा में यह स्पष्ट है की केद्र सरकार जरिये आदेश आवश्यक वस्तुओ के उत्पादन, वितरण, आदि को नियंत्रित करती है। धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की शुरुआत इससे स्पष्ट है कि कोई भी अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तब अंतर्गत कारित होगा जब धारा 3 के किसी आदेश की अवहेलना की जाए। किसी तरह की व्यापारिक बिकी सम्बधित साक्ष्य पुलिस द्वारा अपनी एफआईआर में अंकित नही किया गया है जिस कारण से प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित नही होता है की अभियुक्त द्वारा कोई बिकी की जा रही थी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे एवं उक्त प्रकरण में थानाधिकारी रूपनगढ द्वारा जप्त वाहन व सामान को छोडने के आदेश प्रदान करे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ के व्यवसाय एवं भण्डारण की जांच पर श्री गोपाल सिंह भाटी आर.पी.एस. तत्कालीन वृताधिकारी वृत्त किशनगढ ग्रामीण द्वारा मौके पर पहूँच कर जांच/कार्यवाही की गई। कार्यवाही में अप्रार्थी द्वारा बिना वैध दस्तावेज, लाईसेन्स, सक्षम अनुज्ञापन, अनुमति के बायोडीजल, बिकी एवं भण्डारण किया जाकर बायोडीजल के अवैध कारोबार में लिप्त होना प्रमाणित पाया गया। अप्रार्थीगण का यह कृत्य एम.एस. एण्ड एच.एस.डी. आर्डर 2005 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन पाये जाने पर ही प्रार्थी द्वारा मौके से से पीकअप नम्बर आर.जे. 01. जी. डी 5200 जिसे पिछे बोडी में टेंकर रखा हुआ व मय लोहे का टेंकर अलग से दो टायरो पर खडा हुआ जिसके अन्दर तरल पदार्थ (बायो डिजल जैसा पदार्थ) एक प्लास्टिक का खाली ड्रम, तीन प्लास्टिक के पाईप, दौ प्लास्टिक की कीप, एक लोहे का नाप, तीन प्लास्टिक के छोटे ड्रम, दो डीजल निकालने के पम्प एक इलेक्ट्रीक बैट्री के इत्यादि सामग्री की जब्ती कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी0 द्वारा ऐसे कोई आधारभूत कथन, ठोस दस्तावेजी साक्ष्य, सबूत के नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन करते। वरवक्त जांच मौके पर बायोडीजल का अनाधिकृत रूप से भण्डारण एवं व्यवसाय किया जाना पाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट , फर्द जप्ती , नक्शा मौका घटना सील, तत्यात्मक रिपोर्ट एवं मौके पर पाई गई सामग्री से भी अप्रार्थी के बायोडीजल के अवैध भण्डारण एवं कारोबार की पुष्टि होती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा कुल 1800 लीटर बायोडीजल व एक प्लास्टिक का खाली ड्रम, तीन प्लास्टिक के पाईप, दौ प्लास्टिक की कीप, एक लोहे का नाप, तीन प्लास्टिक के छोटे ड्रम, दो डीजल निकालने के पम्प एक इलेक्ट्रीक बैट्री को राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। **इस न्यायालय को कब्जे राज ली गई आवश्यक वस्तु (Essential Commidity) तथा उसके दुरूपयोग हेतु वहन किये जाने वाले वाहन के निस्तारण के अधिकार प्राप्त है।** चूंकि वाहन पिकअप संख्या RJ-01-GD-5200 से 300 लीटर व टेंकर से करीबन 1500 लीटर बायोडीजल सहित जप्त किया गया है। पिकअप वाहन RJ-01-GD-5200 व टेंकर का उपयोग अप्राधिकृत बायोडीजल परिवहन में किया जाना पाया गया है। उक्त वाहन का उपयोग

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी, अवैध कृत्य के परिवहन हेतु किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जबकि वाहन स्वामी राजू देवी ने इन वाहनो को सुपुर्दगी नामें पर दिए जाने का निवेदन किया है। जब्त सुदा वाहन को राजसात करने के आदेश से पूर्व आवश्यक वस्तु अधिनियम में दिये गये प्रावधानो के मध्यनजर जब्त सुदा वाहन द्वारा परिवहन की जा रही सामग्री के बाजार मूल्य तक की समान राशि जमा कराने पर वाहन एवं टेकर प्रार्थी को सौंपा जा सकता है। चूंकि पिकअप वाहन को 300 लीटर एवं टेंकर से 1500 लीटर बायोडीजल के साथ जब्त किया गया है बायो डिजल की अनुमानित दर लिहाजा 60/– रूपये प्रति लीटर से है, लिहाजा वाहन द्वारा परिवहन की जा रही सामग्री की कुल किंमत अनुसार उक्त पिक अप वाहन RJ-01-GD-5200 पर रूपये 18,000/– (अक्षरे अठारह हजार रूपये मात्र)की शास्ति आरोपित की जाती है। इसी प्रकार एक अन्य टेंकर से 1500 लीटर बायोडीजल जब्त किया गया है बायोडिजल की अनुमानित दर 60/– प्रति लीटर से जब्त बायोडीजल की किमत 90,000/– की शास्ति आरोपित की जाती है लिहाजा टेकर पर जब्तशुदा बायोडीजल अन्य सामग्री का जिला रसद अधिकारी अजमेर सम्बन्धित आयल कम्पनी/रसद विभाग के निर्देशानुसार नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें ओर निस्तारण से प्राप्त राशि राज कोष में जमा करावें। आरोपित शास्ति राशि जमा कराने पर जब्त शुदा पिक अप वाहन RJ-01-GD-5200 एवं टेकर अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद दस्तावेज जांच के सम्बन्धित को सुपुर्द करें। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण मूल 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का अन्तिम निस्तारण उक्त आदेशानुसार किया जा चुका है। लिहाजा श्री राजू देवी पत्नि श्री रामप्रसाद द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 27/22, एवं प्रकरण संख्या 28/2022 जप्त पिकअप वाहन RJ-01-GD-5200 एवं टेंकर को छोडे जाने का निस्तारण भी न्यायालय हाजा द्वारा पारित इस आदेश में कर दिया गया है। लिहाजा मूल 6 ए प्रकरण के उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में प्रार्थी राजूदेवी एवं रामप्रसाद द्वारा प्रस्तुत सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहने, सारहीन हो जाने कारण इसी स्तर पर इसी कदर से निस्तारित किया जाता है। आदेश की एक प्रति सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र पत्रावली के सलंग्न की जावें। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा भी फैसल शुमार हों।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर।